

(६१)

परियोजना का नाम — प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-15 के अन्तर्गत सौरा-सांरी-सिल्ला से पिलंग मोटर मार्ग (8.50किमी०) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (कुल वन भूमि 6.740 है०)

एन०पी०वी० धनराशि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पड़ने वाली वन भूमि ईकोक्लास **V** के अन्तर्गत आती है तथा इसकी ईको वैल्यू श्रेणी सघन वन की है। उल्लेखित ईकोक्लास व ईको वैल्यू हेतु निर्धारित **8.45** लाख रु० प्रति है० की दर से प्रस्तावित वन भूमि **6.740 है०** की निवल वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) **5695300.00 रु०** आगणित की जाती है।

~~उप प्रभागीय वनाधिकारी~~
~~उत्तरकाशी वन प्रभाग~~
~~उत्तरकाशी~~


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

(१०)

परियोजना का नाम — प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-15 के अन्तर्गत सौरा-सारी-सिल्लां से पिलंग मोटर मार्ग (8.50किमी०) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (कुल वन भूमि 6.740है०)

एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि 5695300.00 रु० पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है, तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी द्वारा जमा करा दी जायेगी।


सहायक अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी


अधिशायी अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी